भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1948
दिनांक 14 दिसम्बर, 2023

धर्मपुरी से कोयंबटूर पाइपलाइन परियोजना की प्रगति

†1948. **डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) धर्मपुरी से कोयम्बटूर पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना की प्रगति-रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;
(ख) धर्मपुरी से कोयम्बटूर तक पेट्रोलियम पाइपलाइन के प्रस्तावित मार्ग का ब्यौरा क्या है और प्रारंभिक योजना में क्या संशोधन किए गए हैं;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धर्मपुरी से कोयम्बटूर पाइपलाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ठेकेदारों को अभी तक अनुबंधित नहीं किया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ड.) उक्त पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना के लिए भूमि-अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड.) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड 356 कि.मी. इरुगुर (कोयम्बटूर) से देवानगौंथी (बंगलौर) पेट्रोलियम पाइपलाइन कार्यान्वित कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ धर्मापुरी से कोयम्बटूर पाइपलाइन खंड शामिल है। यह पाइपलाइन मार्ग तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुपुर, करूर, इरोड़, नमक्कल, सलेम, धर्मापुरी और कृष्णागिरी जिलों तथा कर्नाटक में कोलार और बंगलौर ग्रामीण जिलों से होकर गुजर रही है। बुनियादी रूप से मूल मार्ग राष्ट्रपारीय मार्ग था जिसे अब तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) और तमिलनाडु सरकार के साथ परामर्श करके यथा संभव राष्ट्रीय राजमार्गों/ राज्य राजमार्गों/ प्रमुख जिला सड़कों/अन्य सड़कों के साथ उपयुक्तत: तालमेल बैठाते हुए बिछाया गया है।

मंत्रालय द्वारा विभिन्न रिपोर्टों तथा समीक्षा बैठकों के जरिए पाइपलाइन संबंधी प्रगति की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा, पाइपलाइन बिछाने के लिए संविदा दिनांक 09.12.2023 को प्रदान किया गया था। 356 कि.मी. में से 251 कि.मी. के लिए मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) अपेक्षित है, उपयोग का अधिकार (आरओयू) केवल 105 कि.मी. के लिए अपेक्षित है। जिसमें से बीपीसीएल के पास 71 कि.मी. हेतु आरओयू पहले से ही है और इसे 34 कि.मी. के लिए नया आरओयू अपेक्षित है। इस 34 कि.मी. में से 13 कि.मी. के लिए पीएंडएमपी अधिनियम , 1962 की धारा 3 (1) के तहत राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

*****